न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या- 10/2010

भागीरथसिंह पुत्र [illegible] जाति जाट निवासी गढवालों की ढाणी तन खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

--अपीलान्ट---

---बनाम---

1- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बैंकाधिकार नायब तहसीलदार नवलगढ।

2- जिला कलेक्टर झुन्झुनू (राज0) --रेस्पोन्डेन्टस--

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 21-7-2009 द्वारा नायब तहसीलदार नवलगढ एवं निर्णय दिनांक 23-2-2010 द्वारा जिला कलेक्टर, झुन्झुनू।

--0--

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

उपस्थिति-

1-श्री भीमसिंह एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री पोखरमल चौधरी राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक- 04.7.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की कि गैरसायल ने आराजी ख0नं0 116 रकबा 3.43 हैक्टर गै0मु0 जोहड में से 0.01 हैक्टर पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण अतिक्रमण किया। इस पर नायब तहसीलदार नवलगढ ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा-91 के तहत नोटिस जारी किया जिस पर गैर सायल हाजिर आया। प्रकरण में सुनवाई करते हुये विवादित आराजी पर ~~000~~ गैरसायल को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश दिया जिसके विरुद्ध जिला कलेक्टर सीकर के यहां प्रथम अपील पेश की जिसे विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू ने दिनांक 23-6-2008 को खारिज कर दिया। जिसके विरुद्ध द्वितीय अपील अदालत हाजा में करने पर प्रकरण में सुनवाई करते हुये अपील स्वीकार कर तहसीलदार नवलगढ को रिमाण्ड किया। इसके बाद प्रकरण को तहसीलदार नवलगढ ने नायब तहसीलदार नवलगढ को सुनवाई के लिये भिजवाई जिस पर सुनवाई कर पुनः गैरसायल को अतिक्रमी घोषित कर उक्त आराजी से

इस आदेश के विरूद्व प्रथम अपील विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू के यहां अपील पेश की जिस की सुनवाई करते हुये अपीलान्ट की अपील ~~ब~~ खारिज कर नायब तहसील--दार नवलगढ का निर्णय दिनांक 21-7-2009 को यथावत रखा। जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है अदालत मातहत ने माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-12-0 की समुचित पालना नहीं की है । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि किया गया अतिक्रमण तहसीलदार द्वारा जारी पटटा/सनद के क्षेत्रफल से बाहर है ।जब तक तहसीलदार द्वारा जारी सनद/पटटा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता । अपीलान्ट के विरूद्व कोई भी कार्यवाही कानून के विरूद्व होगी। इस तथ्य पर योग्य अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है ।माननीय अदालत हाजा द्वारा विद्वान जिला कलेक्टर एवं तहसीलदार का निर्णय निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया था कि अपीलान्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण दिनांक 30-3-1976 को जारी सनद से बाहर है तो तथ्यों को स्पष्ट रूप से खुलासा करते हुये कम से कम नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद सक्षम आदेश पारित करें तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार के दिशा निर्देशों को भी ध्यान में रखा जावे ।अपीलान्ट का कब्जा तहसीलदार द्वारा जारी सनद/पटटा से अधिक रकबा पर नहीं है ।विद्वान नायब तहसीलदार ने अपने निर्णय में यह स्वीकार किया है कि अपीलान्ट का कब्जा पुराना है किन्तु जिस आराजी पर अपीलान्ट का अतिक्रमण है वह आराजी गै0मु0 जोहड है ।इस कारण गैर मुमकीन जोहड की आराजी का नियमन नही किया जा सकता ।तथा ना ही अपीलान्ट ने उक्त आराजी को नियमित करने का निवेदन किया है । अपीलान्ट को तहसीलदार द्वारा जारी सनद/पटटा की भूमि पर ही कब्जा है । उसके अलावा भूमि अपीलान्ट नियमित नही करवाना चाहता । अदालत मातहत

ने अपनी मर्जी के अनुसार ही यह आदेश पारित कर दिया कि अपीलान्ट ने आराजी को नियमित करने का कोई निवेदन नहीं किया । अपीलान्ट का कब्जा पट्टेशुदा भूमि पर ही है ।उससे अधिक भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है । इस कारण अदालत मातहत के आदेश कानून के विपरित है ।अदालत मातहत ने अपीलान्ट के पट्टे शुदा कब्जे को नजर अन्दाज कर निर्णय करने मे कानूनी भूल की है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब कियागया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट का विवादित आराजी पर तहसीलदार द्वारा जारी सनद/पट्टा की भूमि पर ही कब्जा है ।पट्टे से अधिक भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है । अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर बिना मौके की जांच किये ही केवल विवादित आराजी की किस्म गै0मु0 जोहड होने से अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर आदेश पारित किया जबकि इस बिन्दू पर कोई गौर नहीं किया गया कि अपीलान्ट को इस आराजी की सनद जारी की हुई है उस सनद से अधिक आराजी पर अतिक्रमण हो तो उससे बेदखल किये जाने की कार्य--वाही की जानी चाहिये किन्तु अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है जो कानून के विपरित है ।अपीलान्ट का कब्जा उसको जारी सनद/पट्टे की आराजी पर ही उससे अधिक रकबे पर कोई अतिक्रमण नहीं है ।अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर केवल अपने निर्णय में उक्त विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकीन जोहड होने से उक्त आराजी से अपीलांट को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है जो कानून के विपरित है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत के निर्णय निरस्त किये जावे ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया कि विवादित आराजी गैर मुमकीन जोहड की भूमि है जिस पर न तो सनद जारी की जा सकती

और न ही आवटन/नियमन की जा सकती है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय अब्दुल रहमान बनाम सरकार में इस प्रकार की आराजी के बाबत निर्णय पारित किया जा चुका है कि पानी के बहाव क्षेत्र की आराजी का कोई आंवटन नियमन नही किया जावे बल्कि इस प्रकार की आराजी पर किये गये अतिक्रमण को तुरन्त हटाया जावे । अदालत मातहत ने माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य मे अपीलान्ट की अपील को खारिज कर अतिक्रमी रकबें से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है । जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं है ।अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया नकल ~~खसरा~~ जमाबन्दी सं0-2064 से 2067 में ख0नं0 116 रकबा 3.43 हैक्टर चारागाह व अन्य सामान्य कार्य हेतु राजकीय खातेदारी में दर्ज है । जिसकी किस्म गै0मु0 जोहड दर्ज है । अदालत हाजा का निर्णय दिनाक 22-12-2008 मे प्रकरण तहसीलदार नवलगढ को नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी से रिपोर्ट लेकर पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड किया गया है ।सनद पटटा दिनांक 30-3-1976 को ख0नं0 1506 गै0मु0 जोहडी मे से 181$\frac{1}{2}$ वर्गगज का जारी किया गया है ।जाच रिपोर्ट दिनांक 25-7-2007 में गत ख0नं0 1705 के हाल ख0नं0 116 रकबा 3.43 हैक्टर बनना दर्ज किया है। तथा गत ख0नं0 1506 के हाल ख0न0 1705 बनना दर्ज है । रिपोर्ट मे गैर सायल द्वारा आंशिक हिस्से पर अतिक्रमण किया जाना दर्ज किया है । परिपत्र राजस्व(ग्रुप-6) विभाग क्रमांक प-9(6)राज0-6/2000/ जयपुर दि0 16-10-2001 मे ग्रामीण क्षेत्रो मे सिवायचक,चारागाह,गैर मुमकीन भूमि पर दि0 1-7-1989 से कब्जा है तो नियमन उन्ही शर्तो पर किया जावे ।मौका रिपोर्ट दिनांक 25-7-2007 में रिपोर्ट की है कि गैर सायल ने आंशिक हिस्से पर अतिक्रमण कर रखा है ।अदालत मातहत ने इस रिपोर्ट को ध्यान मे रखकर आदेश पारित किया है। इसके साथ ही विवादित आराजी की किस्म गै0मुमकीन जोहड दर्ज है जो माननीय उच्च ~~ष~~ न्यायालय के निर्णय अब्दूल रहमान बनाम सरकार के अनुसार यह आराजी पानी के बहाव क्षेत्र की आराजी ~~छछ~~ है और इस प्रकार की आराजी पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किया जाता है तो उसे हटाये

भू-प्रबन्ध अधिकारी

जाने के ही निर्देश है किन्तु अदालत हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 22-12-08 में प्रकरण तहसीलदार नवलगढ को इस दिशा निर्देश के साथ रिमाण्ड किया था कि यदि अपीलान्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण दिनांक 30-3-1976 को जारी सनद क्षेत्रफल से बाहर है तो तथ्यों को स्पष्ट रूप से खुलासा करते हुये कम से कम नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद सक्षम आदेश पारित करें। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में कहीं दर्ज नहीं किया कि दिनांक 30-3-1976 को जारी सनद/पटटा के अतिरिक्त कब्जा हो तो इस तथ्य का स्पष्ट करते हुये अपना निर्णय पारित करें । किन्तु विद्वान नायब तहसीलदार नवलगढ ने अदालत हाजा द्वारा पारित आदेश के निर्देशों की कोई पालना न कर अपना निर्णय दिया है ।अत: हम पुन: प्रकरण नायब तहसीलदार को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं कि वह प्रकरण में अदालत हाजा के निर्णय दिनांक22-12-2008 के निर्देशों की पालना कर अपना निर्णय पुन: पारित करें ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान नायब तहसीलदार नवलगढ का निर्णय दिनांक 21-7-2009 एवं विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 23-2-2010 को खारिज किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार नवलगढ को प्रकरण उक्त अनुसार रिमाण्ड किया जाता है ।पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 21-8-18 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 4.7.2018 को सुनाया गया।

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर